उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

200, वसन्त विहार, फेज–II, देहरादून, दूरभाष/ फैक्सः 0135–2761077 ई–मेलःceoukcampa@gmail.com

पत्रांक– 315 /13–3(7)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 22 जून, 2012

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक (परियोजनाएं), उत्तराखण्ड, देहरादून – विशेष आमंत्री
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

विषय :– उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक–249/13–3(7)/2012–13 दिनांक 11.06.2012 एवं पत्रांक–252/13–3(7)/12–13 दिनांक 13.06.2012 तथा पत्रांक–283/13–3(7)/2012–13 दिनांक 14.06.2012

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक दिनांक 15.06.2012 को **जलागम प्रबन्ध निदेशालय के सभागार (इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून)** में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आपकी सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

22/06/2012

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 315 (1)/13–3(7)/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

22/06/12

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः- 315 (2)/13-3(7)/2012-13 दिनांकित।

प्रतिलिपिः संलग्नक सहित निम्नांकित को अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य-शासी निकाय व उपाध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक :- यथोपरि।

23/06/12

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

दिनांक 15.06.2012 को जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के सभागार में डॉ॰ आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरण :–

<u>उपस्थिति का विवरण</u> :–

बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. डॉ॰ आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री एस॰एस॰शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं – विशेष आमंत्री।
4. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री एस॰टी॰एस॰ लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री एस॰सी॰ पन्त, अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत – विशेष आमंत्री
7. श्री एम॰एस॰ बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य– कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त बैठक का शुभारम्भ करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यकारी समिति (Executive Committee) की सप्तम बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

<u>कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.1</u> उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्याः–

दिनांक 12.12.2011 को सम्पन्न हुई षष्ठम कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जोनल स्तर/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर से अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई, जबकि कुछ कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर यथा–मुख्य वन संरक्षक ईको टूरिज्म, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, तराई केन्द्रीय, भू0सं0 रामनगर, टौंस वन प्रभाग, भू0सं0 रानीखेत, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सिविल सोयम अल्मोड़ा, देहरादून वन प्रभाग व चम्पावत वन प्रभाग से अनुपालन आख्या प्राप्त हुई।

अनुपालन की उपरोक्त स्थिति को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा निर्देश दिए गये कि कार्यकारी समिति के निर्णयों/निर्देशों को अनुपालन के निर्देश कार्यवृत्त को जोन में प्राप्ति के साथ जोन/वृत्त स्तर से अग्रेत्तर निर्देश अधीनस्थ को जारी किए जाएं तथा अनुपालन की स्थिति को सम्बन्धित वृत्त एवं जोन स्तर से कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किया जाय जिससे निर्देशों का पूरे जोन स्तर पर हुए अनुपालन की स्थिति से समिति अवगत हो सके एवं नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

षष्ठम बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति की समीक्षा में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गये।

(1) उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रभागीय स्तर पर नियोजित एवं क्रियान्वित समस्त कार्यों का प्राथमिक स्तरीय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण वृत्त स्तर पर वन संरक्षक/निदेशक के द्वारा करने को कड़ाई से लागू किया जाय। वृत्त के अधीन कार्यरत इकाईयों की समयबद्ध एवं व्यवस्थित रिर्पोटिंग का उत्तरदायित्व राज्य कैम्पा के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट के अनुरूप वन संरक्षक स्तर का है।

(कार्यवाही – समस्त वन संरक्षक/निदेशक)

(2) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन कड़ाई से करते हुए विभाग के अंतर्गत सभी कार्यों को, विशेषकर निर्माण कार्य तथा सड़क निर्माण कार्य आवश्यक रूप से निविदा के माध्यम से कराये जायं।

(कार्यवाही – समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)

(3) उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों की वर्ष 2010–11 के लेखा की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के Observations पर वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लेखा परीक्षा में पाई जाने वाली कमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही/निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष व शासन स्तर पर अलग–अलग समितियां गठित हैं, इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित समिति द्वारा लेखा परीक्षा के Observations पर समयबद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही का निर्णय लिया जाय।

(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा वित्त नियंत्रक, वन विभाग)

(4) आन्तरिक लेखा परीक्षा के Observations में रु॰ 2000/– से अधिक के भुगतान को चैक के माध्यम से किये जाने पर चर्चा हुई जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि रु॰ 2000/– से ऊपर के भुगतान चैक के माध्यम से किए जाएं, किन्तु यह सीमा अत्यधिक कम है। इस क्रम में Net Present Value के दृष्टिगत वर्तमान स्थिति को देखते हुए रु॰ 2000/– की सीमा

को बढ़ाने का प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही करवाएं।

(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

(5) वन पंचायत नियमावली, 2005 के प्राविधानों में उल्लिखित संहत प्रबन्ध योजना (Composit Management Plan) को प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय स्तर पर Outsourcing के माध्यम से बनवाने के समिति की पूर्व बैठक के निर्देशों के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं (कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, नैनीताल) की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर से Outsourcing हेतु EOI शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापित करवाकर उक्त कार्य को Outsourcing से करवाने का कार्यादेश निर्गत करवाये जाने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये। समिति के अन्य सदस्यों में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त श्री कपिल जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी–भू0सं0 नैनीताल एवं प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, वन पंचायत श्री बी0पी0 सिंह होंगे।

(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड)

(6) श्री हेम चन्द्र गैरोला (M&E सलाहकार) की रिपोर्ट पर प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के पत्रांक–421/P.O. दिनांक 03.02.2012 के माध्यम से प्राप्त आख्या पर चर्चा हुई एवं समिति का निर्णय कार्यवृत्त के बिन्दु सं.–7.7 पर उल्लिखित है।

<u>कार्यसूची बिन्दु सं. 7.2</u> वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2010–11 एवं (APO) 2011–12 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थितिः–

वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2010–11 एवं (APO) 2011–12 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थिति समिति के समक्ष रखी गई जिसके अनुसार वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सभी 48 कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को अवमुक्त धनराशि रु. 4637.84 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रु. 4374.29 लाख तथा वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सभी 55 कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को अवमुक्त धनराशि रु. 7050.01 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रु. 4717.34 लाख है।

वर्ष 2011–12 के APO के कार्यों की CAMPA MIS के अनुसार प्रगति रु. 4717.34 लाख हुई है जबकि प्रभागों से प्राप्त Latest MPR के आधार पर प्रगति रु. 4128.73 लाख परिलक्षित होती है।

विगत 2 वर्षों के CAMPA कार्यों के अनुश्रवण एवं उपरोक्त धीमी प्रगति को समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं वन संरक्षक स्तर से प्रभावी अनुश्रवण किए जाने तथा अत्यधिक धीमी प्रगति वाले

प्रभागीय वनाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु उनकी सूची प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के समिति द्वारा निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही – समस्त वन संरक्षक/निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची कार्यकारी बिन्दु सं. 7.3</u> स्वीकृत APO 2011–12 के संशोधन का अनुमोदन :–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत दिनांक 16.05.2011 को संचालन समिति द्वारा रु॰ 11166.47 लाख की वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2011–12 का अनुमोदन प्रदान किया। इस क्रम में कार्यान्वयन अभिकरणों के सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त प्राप्त संशोधित वार्षिक कार्ययोजना (APO) को कार्यान्वयन अभिकरण के स्तर पर माह मई, 2012 तक की क्रियान्वयन की प्रगति व उक्त को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि के दृष्टिगत रु॰ 8924.99 लाख की तैयार की गई संशोधित वार्षिक कार्ययोजना को समिति द्वारा ***जून, 2012 तक*** वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष ***अवमुक्त धनराशि (वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रु॰ 7219.71 लाख है) की सीमा तक*** **संशोधित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया** एवं तदनुसार संशोधित वार्षिक कार्ययोजना को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदन उपरान्त आगामी संचालन समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। साथ ही CAMPA APO 2011–12 के कार्यों को 30 जून, 2012 की स्थिति पर Freeze करने हेतु कार्यकारी समिति द्वारा संचालन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में ***अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष*** **APO 2011–12 के Achievements की प्रविष्टि को एक सप्ताह में क्रियान्वयन स्तर से CAMPA MIS में पूर्ण करने के निर्देश कार्यकारी समिति द्वारा दिये गये। वन संरक्षक स्तर पर उनके अधीनस्थ इकाइयों के द्वारा उक्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।** जोनल स्तर पर भी उक्त का अनुश्रवण कर लिया जाय।

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक–64/एफ॰आर॰डी॰सी॰/2012 दिनांक 18.05.2012 के माध्यम से जनपद के अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, कारागार, पी॰ए॰सी॰/आई॰आर॰बी॰ बटालियन इत्यादि कार्यस्थल पर जहां कहीं पुलिस विभाग वृक्षारोपण करवाना चाहता है, उक्त स्थलों की सूची प्राप्त कर कैम्पा निधि के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य करने तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त के दूसरे पत्र से दून विश्वविद्यालय के कैम्पस में वृक्षारोपण कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त के क्रम में संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 में बजट का प्राविधान NPV घटक की तालिका 1.e की कार्यमद 1.e.5.1 Greening of State Capital देहरादून जनपद हेतु व कार्यमद 1.e.5.3 Greening of District Head Quarters अन्य जनपदों हेतु तथा कार्यमद 1.e.5.5 Greening of Town other than District H.Q. जिलों के अतिरिक्त टाउन के अंतर्गत रखते हुए सम्बन्धित जिला के जिला संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलों की सूची पुलिस विभाग से प्राप्त कर अग्रिम मृदा कार्य/वृक्षारोपण कार्य को करने एवं प्रत्येक जनपद व दून विश्वविद्यालय हेतु औसत 1.00 लाख रु॰ के आधार पर रु॰ 14.00 लाख की धनराशि का प्राविधान करने के समिति द्वारा निर्देश दिए गये।

NPV घटक की तालिका 1.b की कार्यमद 1.b.3.8 Immediate payment of ex-gratia in sensitive divisions by DFOs के अंतर्गत मार्च, 2012 तक के मानव क्षति व पशु क्षति के समस्त मामलों को निपटाने तथा उक्त हेतु धनराशि की अतिरिक्त मांग के सम्बन्ध में कैम्पा कार्यालय को तीन दिन के

अंतर्गत अवगत कराने के समिति द्वारा निर्देश दिए गए ताकि उक्त धनराशि का संशोधित APO 2011–12 में समावेश कर धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अवमुक्त की जा सके।

(कार्यवाही – समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण, वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.4 प्रस्तावित APO 2012–13 के निरूपण हेतु समिति द्वारा दिये गये निर्देश :– उत्तराखण्ड कैम्पा निधि में से वर्ष 2011–12 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना/बजट का अनुमोदन देने के उपरान्त शेष उपलब्ध कैम्पा निधि तथा लगभग रु॰ 65 करोड़ की धनराशि Ad-hoc कैम्पा से प्राप्त होने की प्रत्याशा में लगभग रु॰ 9600.00 लाख की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 को तैयार करने एवं उक्त वार्षिक कार्ययोजना में निम्नांकित बिन्दुओं/कार्यों का समावेश करने के निर्देश दिए गए :–

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का कार्यमदों की Matrix के कार्यालय आदेश (क–1972/3–9 दिनांक 23.02.2012) में कैम्पा निधि के अंतर्गत दर्शाई गई कार्यमदों में विगत 2 वर्ष की प्रगति के अनुभव, स्टेट कैम्पा का 10 वर्षीय प्रोजेक्ट को ध्यान में रखा जाय।

(2) राज्य कैम्पा के दस वर्षीय प्रोजेक्ट में घटकों व उपघटकों में वर्षवार धनराशि के प्राविधान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण को प्रथम तीन वर्षों में पूरा करने के लिए 9500 है0 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्षाकाल 2012 तक पूर्ण होने वाले लगभग 3800 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त शेष लगभग 5700 है0 वृक्षारोपण के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन स्वीकृत Site Specific Projects के अग्रिम मृदा कार्य व पौधालय कार्य के लक्ष्य को प्रभागों से यथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार एवं शेष को नियोजन की दृष्टि से Central रूप में रखा जाय जिसका आवंटन बाद में कर लिया जाएगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगभग रु॰ 1500.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समस्त वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल)

(3) कैम्पा मद–3 (Protected Area funds) में अस्कोट वन्य जीव विहार हेतु रु॰ 100.00 लाख एवं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हेतु रु॰ 100.00 लाख की धनराशि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत Approved Site Specific कार्यों को प्राविधानित किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव)

(4) कैम्पा मद–4 (Other Specified Activities) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत Site Specific Projects में Road Side Plantation, Gap filling Plantation एवं Dwarf Spp. Plantation का कार्य निर्धारित

है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के उद्देश्य से समिति द्वारा वर्ष 2012–13 में रु॰ 800.00 लाख का प्राविधान किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समस्त वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल)

(5) CAT Plans के समयान्तर्गत क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर CAT Plans हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से निर्गत गाइड लाइन के अनुसार CAT Plans की कुल धनराशि का द्वितीय वर्ष हेतु 19.96% के आधार पर रु॰ 2093.81 लाख का प्राविधान कर लिया जाए। चूंकि प्रथम वर्ष में Field PMU गठन न होने एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने के फलस्वरूप प्रथम वर्ष के कार्य अवशेष होंगे। अतः प्रथम वर्ष के अवशेष कार्यों तथा वास्तविक आधार पर पूर्ण किए जाने वाले द्वितीय वर्ष के कार्यों का Site Specific नियोजन एवं CAMPA MIS में Feeding आगामी 7 दिन में पूर्ण कर ली जाय। वर्ष 2012–13 में वास्तविक प्रगति एवं आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान Revised APO 2012–13 में किया जायेगा।

(कार्यवाही–वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त/भागीरथी वृत्त/निदेशक–नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाए)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले नये CAT Plans को बनाए जाने पर चर्चा हुई जिसमें Outsourcing के माध्यम से समयान्तर्गत CAT Plans को Professionally बनाये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी तथा प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाए)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से प्राप्त निर्देशों एवं उनके कार्यालय के पत्रांक–ख–1969/13–2(2) दिनांक 05.05.2012 द्वारा निर्गत निर्देशों की प्राथमिकताओं के अनुरूप निम्न कार्यों को NPV घटक के अंतर्गत करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन उपरान्त APO 2012–13 में NPV घटक हेतु निर्धारित लगभग रु॰ 5000.00 लाख की धनराशि में शामिल करने के कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये :–

1. प्रत्येक जनपद में कैम्पा के कार्यों के सम्पादन में सिविल सोसाइटी संगठनों की Implementation & Technical Support की सेवाएं प्राप्त की जाय (उक्त हेतु "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" सम्बन्धी डॉक्यूमेन्ट प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है) तथा सिविल सोसाइटी संगठनों की ऐसी सेवाओं को मुख्य वन संरक्षक, एन॰टी॰एफ॰पी॰ एवं आजीविका के स्तर पर Anchoring करने का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रत्येक जनपद में प्रभागवार Civil Society Organizations (CSOs) की सेवाएं प्राप्त करने पर अनुमानित लागत रु॰ 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति प्रभाग की दर के क्रम में इस वित्तीय वर्ष में Piloting करने हेतु लगभग रु॰ 105.00

लाख के व्यय को NPV घटक के अंतर्गत रखा जाय। वन्य जीव क्षेत्रों में मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव प्रशासन एवं इन्टैलीजैन्स) की Anchoring में ऐसी Piloting हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श कर, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गये।

2. बंदर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) तथा चिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े का निर्माण (पांच वर्षों हेतु अनुमानित लागत क्रमशः रु॰ 378.00 लाख तथा रु॰ 378.00 लाख) का रु॰ 180.79 लाख का प्रत्येक हेतु अर्थात् रु॰ 361.58 लाख की धनराशि का प्राविधान APO 2012–13 में NPV की तालिका 1.b में रखा जाय।

3. दिनांक 23.07.2012 की राज्य कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰–15 पर "राजाजी राष्ट्रीय पार्क के प्रबन्धन हेतु पूर्व में पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा जमा धनराशि में से प्रत्येक वर्ष रु॰ 442.40 लाख की धनराशि को कैम्पा में प्राविधानित करने के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि प्रथमतया प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के लिए एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि में से यथासम्भव रा0रा0 पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे व तदोपरान्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से परामर्श करने के उपरान्त प्रदेश स्तर पर वर्ष 2010–11 हेतु एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि में से पूर्ति करने का प्रयास करेंगे" के क्रम में रु॰ 442.40 लाख की धनराशि का वर्ष 2012–13 के लिए राजाजी पार्क हेतु NPV घटक में प्राविधान कर लिया जाय।

4. एफ॰आर॰आई॰, देहरादून द्वारा REDD+ के अध्ययन हेतु तीन वर्षीय योजना (अनुमानित लागत रु॰ 86.98 लाख जिसमें प्रथम वर्ष हेतु रु॰ 11.66 लाख) का समावेश NPV की तालिका 1.e.1.1 में रखा जाय। उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं anchoring मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता एवं अनुसन्धान के स्तर पर की जाय।

5. सेन्टर फार फॉरेस्ट साइंस एकेडमी द्वारा जैविक दबाव के अध्ययन हेतु योजना (अनुमानित लागत रु॰ 10.00 लाख जिसमें प्रथम किश्त रु॰ 2.00 लाख) का समावेश NPV की तालिका 1.e.1.1 में रखा जाय। उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं anchoring मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता एवं अनुसन्धान के स्तर पर की जाय।

6. समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि संवेदनशील 179 वन रेंजों में से 44 वन रेंजों को APO 2011–12 के सापेक्ष 44 वाहन क्रय के प्राविधान के उपरान्त शेष 135 वन रेंजों हेतु 135 वाहनों के क्रय हेतु रु॰ 810.00 लाख का प्राविधान APO 2012–13 में कर लिया जाए।

7. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के कार्यालय सहित समस्त प्रदेश में NPV घटक की तालिका 1.d वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत रु॰ 800.00 लाख की धनराशि का प्राविधान करने एवं उक्त की प्रभागवार वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 का निरूपण कर एक सप्ताह के अंतर्गत कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड नैनीताल को समिति द्वारा निर्देश दिए गये।

8- NPV की तालिका 1.e के अंतर्गत APO 2012–13 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु रु॰ 125.00 लाख, स्पर्श गंगा बोर्ड हेतु रु॰ 22.00 लाख, आई॰टी॰ सैल हेतु रु॰ 45.00 लाख, प्रचार–प्रसार हेतु कैम्पा कार्यालय सहित रु॰ 50.00 लाख, ईको–टूरिज्म हेतु रु॰ 35.00 लाख, एन॰टी॰एफ॰पी॰ हेतु (Benevloent Fund) रु॰ 112.00 लाख व रिसर्च (सिल्वा साल, सिल्वा हिल) हेतु रु॰ 100.00 लाख तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड स्तर पर लगभग रु॰ 26.00 लाख रखते हुए कुल रु॰ 515.00 लाख का प्राविधान किये जाने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

9- प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के कार्यालय हेतु रु॰ 7.00 लाख एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय हेतु रु॰ 5.00 लाख का प्राविधान NPV घटक की तालिका 1.a के अंतर्गत तथा जैव विविधता बोर्ड हेतु NPV की तालिका 1.b में रु॰ 40.00 लाख का प्राविधान किये जाने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

10- उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के स्तर पर रु॰ 100.00 लाख (2% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर पर रु॰ 100.00 लाख Contingency एवं रु॰ 100.00 लाख Operational Expenses हेतु प्राविधान किये जाने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

11- उपरोक्त बिन्दु सं॰–1 से 10 में NPV घटक के अंतर्गत रु॰ 3399.64 लाख का प्राविधान अनुमोदित करने के उपरान्त शेष रु॰ 1600.36 लाख की धनराशि के क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि गढ़वाल जोन एवं वन्य जीव जोन में जिन प्रभागों के अंतर्गत CAT Plans के कार्यों हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है, उन प्रभागों में यथासम्भव NPV घटक के अंतर्गत कार्यों को न रखा जाए तथा उपरोक्त शेष लगभग रु॰ 1600.36 लाख की धनराशि में से 0.36 लाख प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर पर आरक्षित रखते हुए शेष रु॰ 1600.00 लाख में में रु॰ 600.00 लाख गढ़वाल मण्डल, रु॰ 600.00 लाख कुमांऊ मण्डल तथा रु॰ 400.00 लाख वन्य जीव परिरक्षण हेतु प्राविधान किये जाने के समिति द्वारा निर्देश इस शर्त के साथ दिये गये कि उक्त धनराशि में कार्यमद संख्या– 1.a.6.1 में भवन निर्माण के कार्य के अंतर्गत गढ़वाल, कुमांऊ व वन्य जीव जोन में स्थल विशेष की आवश्यकता को देखते हुए क्रमशः लगभग 25, 25 व 15 वन्य जन्तु रक्षक/वन रक्षक चौकी के नव निर्माण हेतु रु॰ 6.00 लाख प्रति भवन की दर से प्राविधान कर लिया जाय तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय आदेश सं0– 1972/3–9 दिनांक 23.02.2012 के अनुसार भवन मरम्मत के कार्य न रखे जाएं। राज्य कैम्पा निधि के अंतर्गत क्रय किये गये वाहनों के अतिरिक्त विभागीय वाहनों के PoL पर होने वाले व्यय का प्राविधान कैम्पा निधि में न किया जाय। उक्त हेतु 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत धनराशि का पृथक से प्राविधान अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के स्तर पर किया गया है। केवल कैम्पा से क्रय वाहनों के PoL का प्राविधान कार्यमद 1.a.4.3 में किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में कैम्पा के अंतर्गत PoL हेतु अतिरिक्त मांग को वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किया जाय जिस पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अनुमति उपरान्त अग्रेत्तर निर्णय लिया जाएगा।

इस क्रम में समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रत्येक प्रभाग/कार्यान्वयन अभिकरण अपने विगत दो वर्षों के कैम्पा निधि के कार्यों के अनुभव व माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का कार्यमदों की Matrix के कार्यालय आदेश (सं0–1972/3–9 दिनांक 23.02.2012) व जिन प्रभागों में CAT Plans का कार्य भी किया जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 का अपने नियंत्रक अधिकारी (वन संरक्षक/निदेशक) के माध्यम से जोनल स्तर पर अन्तिम रूप देते हुए उसकी Site Specific प्रविष्टि उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में करवा दें तथा वन संरक्षक के माध्यम से MIS से सृजित Hard Copy उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

तद्नुसार उक्त APO 2012–13 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही – समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण तथा समस्त वन संरक्षक/निदेशक,/प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.5</u> वर्ष 2011–12 के संशोधित APO के सापेक्ष अवशेष वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति जून, 2012 तक करने की समय अवधि का अनुमोदनः–

वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 की धनराशि रु॰ 11166.47 लाख के सापेक्ष रु॰ 7050.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष मात्र रु॰ 4717.34 लाख की वित्तीय प्रगति हुई है। इस क्रम में वर्ष 2011–12 के संशोधित APO के सापेक्ष अवशेष भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति 30 जून, 2012 तक करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं 30 जून, 2012 को संशोधित APO 2011–12 के कार्यों को Freeze करने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही – समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, समस्त वन संरक्षक/निदेशक, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.6</u> उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2010–11 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा :–

CA फर्म M/s Sindhwani & Associates के द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2010–11 के कार्यों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों के स्तर पर उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा रखरखाव में पाई गई कमियों के सारांश के नोट पर समिति द्वारा चर्चा की गई जिसमें वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि उनके द्वारा पहले वृत्त स्तरीय प्रभागीय

वनाधिकारियों से चर्चा कर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय से कमियों के सम्बन्ध में प्रेषित किए गये पत्रों के सापेक्ष प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर गम्भीर किस्म की लेखा कमियों वाले प्रभागों के लेखा का विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षण कराया जायेगा जिसके आधार पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के स्तर से वन संरक्षकों से चर्चा कर उनका मत लेते हुए Rectification व Corrective Measures लिये जाने तथा तदोपरान्त विभागीय लेखा समिति स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर ली जाय।

(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, वित्त नियंत्रक, वन विभाग)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.7 उत्तराखण्ड कैम्पा का Concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 के कार्यों की सूचीबद्ध संस्थाओं के संस्थागत सलाहकारों तथा सूचीबद्ध व्यक्तिगत सलाहकारों के माध्यम से Concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के प्रथम चक्र के कार्य को पूर्ण होने एवं तद्नुसार उक्त की रिपोर्टस सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग को आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने की जानकारी समिति को दी गई। वर्ष 2011–12 के APO के कार्यों की Concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का वन पंचायत कार्यों सम्बन्धी रिपोर्ट को प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं की संयुक्त समिति को Circulate करने तथा इस समिति के अध्ययन उपरान्त उक्त Report को अन्तिम रूप देकर सम्बन्धित को अनुपालन हेतु Circulate किए जाने के समिति द्वारा निर्देश दिए गये। प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि श्री हेम चन्द्र गैरोला के साथ उक्त M & E रिपोर्टस् के सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो पाई है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि श्री हेम चन्द्र गैरोला वर्ष 2010–11 व वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण करते हुए समिति के साथ विचार–विमर्श कर लें तदोपरान्त M & E रिपोर्टस् से निकली Critical recommendation पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु यह संयुक्त समिति आगामी एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही – प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.8 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं॰147/2009 को कैम्पा से कराए जाने के सम्बन्ध में:–

दिनांक 12.12.2011 की कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 6.8 पर मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं॰–147/2009 "संगम चट्टी–डोडीताल–दयारा–गिडार–सुक्खी तथा जौराई–कुशकल्याण–सहस्त्रताल–खेड़ाताल को पर्यटन सर्किट विकसित करने को कैम्पा निधि से कराए जाने के विकल्प के सम्बन्ध में समिति द्वारा कैम्पा से वित्त पोषण के बजाए ईको–टूरिज्म के सामान्य विभागीय बजट से कार्यों को पूर्ण करने हेतु सुझाव दिया गया था। उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक–1908/3–9(1) दिनांक 04.06.2012 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की समीक्षा बैठक में इस कार्य को कैम्पा से कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं। कतिपय कार्यों जिसमें ईको–टूरिज्म भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए Clarification पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड

शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति द्वारा प्रति उत्तर (पत्रांक–217/4–1 दिनांक 30.05.2012) भेजे जाने से समिति अवगत हुई तथा उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं पुनः उक्त कार्य को कैम्पा से वित्त पोषण के बजाए ईको–टूरिज्म के सामान्य विभागीय बजट से कार्यों को पूर्ण करने हेतु सुझाव दिया गया एवं तद्नुसार शासन स्तर पर अवगत कराने हेतु निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

कार्यसूची बिन्दु सं. 7.9 वित्तीय स्वीकृतियों का अनुमोदन :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्वीकृत APO के सापेक्ष विभिन्न स्तरों से वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का सारांश समिति के संज्ञानार्थ तथा अग्रेत्तर निर्णयार्थ निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

क्र. सं.	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	कार्य का नाम	धनराशि (रु. में)	प्रस्ताव प्रेषित करने का स्तर	पत्रांक व दिनांक	अभ्युक्ति
1	सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	मृग विहार एन.टी.डी. अल्मोड़ा में 4 गुलदारों हेतु इनक्लोजर निर्माण हेतु कार्य की वित्तीय स्वीकृति।	24,95,970	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं	2075/7–1 दि. 29.02.2012	APO 10–11 हेतु कार्योत्तर स्वीकृति–रु. 3,15,501/– APO 11–12 हेतु वित्तीय स्वीकृति – रु.21,80,469/–
2	कार्बेट टाइगर रिजर्व	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की आकाईवल फिल्म निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।	9,85,000	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	नि–1404/3–6 (1) दि. 25.02.2012	स्वीकृत APO 2011–12 के सापेक्ष
3	कार्बेट टाइगर रिजर्व	कार्बेट नेशनल पार्क की प्लेटिनम जुबली झांकी की स्वीकृति।	1,62,043	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव	2113/6–3 दि. 03.04.2012	स्वीकृत APO 2011–12 के सापेक्ष
4	कार्बेट टाइगर रिजर्व	प्लेटिनम जुबली के अवसर पर टी.वी. स्पॉट की स्वीकृति।	2,20,600	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव	2131/6–3 दि. 03.04.2012	स्वीकृत APO 2011–12 के सापेक्ष
5	चकराता वन प्रभाग	वन आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुर गण्डी में बाढ़ नियंत्रण के उपाय	84,53,000	वन संरक्षक, यमुना वृत्त	1763/16–2 दि. 29.05.2012	प्रमुख वन सरक्षक, उत्तराखण्ड कापत्रांक–ख–1969/13–2 (2) दि. 05.05.12 (संशोधित APO 11–12 के सापेक्ष)
6	देहरादून वन प्रभाग	वन विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के द्वारा प्रभावी गश्त व वन सुरक्षा के दृष्टिगत कैम्पा योजना में 44 वाहनों का क्रय	2,64,00,000	संचालन समिति (16.05.2011) का सैद्धान्तिक अनुमोदन	कार्यसूची सं0– 3.8(4)	संशोधित APO 2011–12 के सापेक्ष

उपरोक्त क्र.सं.–5 पर उल्लिखित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में समिति के संज्ञान में लाया गया कि वन संरक्षक, यमुना वृत्त के पत्रांक–1763/16–2 दिनांक 29.05.2012 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वन आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुरमण्डी में रु. 136.00 लाख की लागत के पूर्व निर्मित वन विश्राम भवन, ईको–हट्स, आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, हॉस्टल व अन्य अवस्थापनों की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण उपाय पर पूर्व में (वर्ष 2003–04 से 2011–12 तक) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रु. 42.63 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा संशोधित कैम्पा APO 2011–12 के सापेक्ष रु. 84.53 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारी समिति के समक्ष आवेदित की गई है। वन संरक्षक, यमुना वृत्त द्वारा अवगत कराया है कि उक्त कार्य हेतु सैन्ट्रल सोयल वाटर कन्जरवेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, देहरादून से तकनीकी परामर्श भी लिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में वन संरक्षक, यमुना वृत्त एवं मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा उक्त कार्य पर लगभग रु. 42.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान बताया गया। इस क्रम में संशोधित APO 2011–12 के अंतर्गत उक्त कार्य हेतु रु. 42.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति समिति द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि वन संरक्षक, यमुना वृत्त के द्वारा किये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता आदि के परीक्षण उपरान्त धनराशि का नियमानुसार व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया जाय एवं समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गये कि विभाग की पूर्व योजनाओं के अंतर्गत किए गये कार्यों एवं कैम्पा निधि से किए जाने वाले कार्यों का Record अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के स्तर पर रखा जाय।

(कार्यवाही – प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग; वन संरक्षक, यमुना वृत्त व अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

क्र.सं.–6 पर उल्लिखित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में समिति के संज्ञान में लाया गया कि रु. 5.50 लाख की दर से 44 वाहनों के क्रय हेतु कार्यमद 1.a.4.1 Purchase of New vehicle में रु. 242.00 लाख की धनराशि के प्राविधान को संचालन समिति (16.05.2011) के द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। वर्तमान में वाहन की दर में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर रु. 6.00 लाख प्रति वाहन की दर से संशोधित APO 11–12 में रु. 264.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावों (बिन्दु सं.1 से 4 व बिन्दु सं.–6) पर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यों हेतु स्वीकृत APO में बजट के प्राविधान होने की दशा में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही – प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग; अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन; सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा; कार्बेट टाइगर रिजर्व; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची बिन्दु सं. 7.10</u> उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम लागू करने के सम्बन्ध में :–

उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम को लागू करने की अद्यावधिक स्थिति के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति के संज्ञान में लाया गया:–

उत्तराखण्ड कैम्पा की तृतीय संचालन समिति की बैठक (दिनांक 16.05.2011) में उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम लागू करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक (दिनांक 12.12.2011) में कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम को लागू करने के लिए निविदा के माध्यम से Accounting Software क्रय करने व Software को Operate करने के लिए Training व Hand holding Support की सेवाएं लिए जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा के 50 कार्यान्वयन अभिकरणों/प्रभागों में Accounting Software Tally ERP09 का Installation करवाया जा चुका है तथा सभी कार्यान्वयन अभिकरणों में कार्यरत उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा सम्बन्धी एक कार्मिक तथा एक Computer Operator जो कि पूर्व से CAMPA के MIS का कार्य कर रहा है, को तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण Tally Software को Operate करने हेतु सम्पन्न करवाया जा चुका है।

अधिकांश कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा के रखरखाव में Double Entry System को अपनाये जाने व Tally Software में कार्य करने में रुचि लिए जाने का अभाव है। वर्तमान में मात्र 8 प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों (बांस एवं रेशा विकास परिषद, सिविल सोयम अल्मोड़ा, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी वन प्रभाग, भू0सं0 नैनीताल, टिहरी डैम–द्वितीय, स्पर्श गंगा बोर्ड व जैव विविधता बोर्ड) के द्वारा Tally Software को अपनाते हुए Double Entry System के अंतर्गत कैम्पा के लेखा रखाव की पहल की गई है।

समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा को Double Entry System में रखे जाने के संचालन समिति के निर्देश हैं तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को इकाईयों के लेखा के विवरण को उपलब्ध कराने में Double Entry System से सुगमता होगी।

इकाईयों द्वारा Tally Software को अपनाने व Data feed करने में रुचि नहीं लिए जाने को समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिए गये कि प्रथम चरण में Outsourcing के माध्यम से वर्ष 2010–11 व 2011–12 के APO के कार्यों के Data feeding सभी कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर करवा दी जाए। Outsourcing से Data feeding के समय प्रभागीय वनाधिकारी/इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में कार्यरत लेखाकार व कैम्पा निधि के कार्यों हेतु कार्यरत Computer Operator विशेष रुचि लेकर उक्त कार्य को सीखें तथा भविष्य में उनके स्तर से प्रतिमाह Tally Software में Accounting का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/इकाई प्रभारी की जिम्मेदारी होगी।

(कार्यवाही– समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक/समस्त वन संरक्षक/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.11</u> उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी को भंग करने के सम्बन्ध में :–

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित पत्र सं॰ 1–20/2006–CAMPA दिनांक 15.02.2012 में उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी को भंग करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त के क्रम में राज्य सरकार स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वैधानिक Opinion सहित सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है।

तद्नुसार समिति के संज्ञान में लाया गया।

<u>कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.12</u> :– वनाधिकारियों को एक ही मोबाईल संयोजन की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में।

1. समिति के संज्ञान में लाया गया कि तृतीय संचालन समिति (16.05.2011) द्वारा वन क्षेत्राधिकारी स्तर व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु औसत रू॰500/– अधिकतम मासिक भुगतान कैम्पा निधि से करने हेतु व बिना हैण्डसैट के CUG युक्त सिमकार्ड विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचरियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के क्रम में कार्यकारी समिति (30.08.2011) द्वारा प्रथम चरण में 500 अधिकारियों तथा 4500 कर्मचारियों को क्रमशः रू॰225/– तथा रू॰99/– का प्लान (BSNL से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर) एक वर्ष हेतु क्रय करने के लिए रू॰66.96 लाख + टैक्स अतिरिक्त की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति APO 2011-12 में NPV घटक की कार्यमद 1.e.11.1– 1% Operational Expenses में CUG हेतु प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत प्रदान की गई।
2. उपरोक्त के क्रम में दिनांक 30.08.2011 को कार्यकारी समिति की बैठक में Telecom Service Providers कम्पनियों से प्राप्त दरों का विश्लेषण करने हेतु गठित Consultancy Evaluation Committee (CEC) की BSNL का Plan 99 लेने की संस्तुति का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में CUG Plan पर होने वाले व्यय का वहन Capital Fund के बजाये कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से किए जाने के समिति द्वारा निर्देश दिए गए।
3. इस क्रम में वन विभाग के समस्त अधिकारियों व फील्ड कर्मियों हेतु समान रूप से BSNL का एक ही Plan99 क्रय किया गया है। इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं IT) कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने <u>पत्रांक ख–1467/13–2(2) दिनांक 17.02.2012</u> के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ***वनाधिकारियों को एक ही मोबाईल संयोजन की सुविधा दी जानी है*** तथा उनके द्वारा स्तरवार निर्धारित धनराशि को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई।

4. वनाधिकारियों को एक ही मोबाईल संयोजन की सुविधा दिए जाने के क्रम में उच्च स्तरों हेतु स्तरवार धनराशि निर्धारित किए जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता के क्रम में वन क्षेत्राधिकारी एवं उच्च स्तर को समान रूप से रू॰500/– का भुगतान अनुमन्य करने की दशा में प्लान पर होने वाले व्यय में लगभग 40% की बढ़ोत्तरी होगी, जबकि निम्नानुसार स्तरवार धनराशि निर्धारित की जाने पर मात्र 18% की बढ़ोत्तरी होगी। इस क्रम में मोबाईल संयोजन के बिल भुगतान हेतु निम्नानुसार स्तरवार धनराशि निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि **यदि किसी वनाधिकारी द्वारा दो मोबाईल संयोजन प्रयोग में लाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके दोनों संयोजनों के बिलों के भुगतान का योग निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए** तथा निम्नानुसार स्तरवार मोबाइल फोन बिल का भुगतान किये जाने का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया :–

1	वन आरक्षी से उप वन क्षेत्राधिकारी के स्तर तक	–	रू॰99+सर्विस टैक्स
2	वन क्षेत्राधिकारी स्तर को	–	रू॰200+सर्विस टैक्स
3	सहायक वन संरक्षक स्तर को	–	रू॰300+ सर्विस टैक्स
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर को	–	रू॰400+ सर्विस टैक्स
5	वन संरक्षक स्तर को	–	रू॰500+ सर्विस टैक्स
6	मुख्य वन संरक्षक स्तर को	–	रू॰600+ सर्विस टैक्स
7	अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर को	–	रू॰700+ सर्विस टैक्स
8	प्रमुख वन संरक्षक स्तर को	–	रू॰800+ सर्विस टैक्स
9	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HOFF) को	–	Unlimited
10	प्रमुख सचिव, वन एंव पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	–	Unlimited

कार्यकारी समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गये कि उपरोक्त का क्रियान्वयन एवं CUG की सेवाओं का सदुपयोग मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं आई॰टी॰) के द्वारा कराया जायेगा। वह आवश्यकतानुसार प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के अनुमोदन से क्रम सं॰–3 एवं 4 सम्बन्धी निर्णयों के अनुपालन सम्बन्धी आदेश जारी कराकर फील्ड अधिकारी/कार्मिक एवं सभी सम्बन्धित के संज्ञानार्थ भेजने की अपेक्षा की गई। चूंकि CUG नम्बर पदनाम से जारी किए गए हैं, अतः पूर्व उपलब्ध/आवंटित नम्बर को निजी नम्बर में Convert कराकर CUG Network में जोड़ने अथवा पूर्व नम्बर को ही CUG नम्बर में Convert करने आदि options पर BSNL के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं आई॰टी॰) द्वारा प्राथमिकता पर करा ली जाय। CUG सम्बन्धी वांछित धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा फण्ड के interest से सृजित धनराशि से उपलब्ध कराई जायेगी।

(कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं आई॰टी॰, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.13 – वार्षिक कार्ययोजना को वित्तीय वर्ष के आधार पर क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार के निर्देश

समिति के संज्ञान में लाया गया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.05.2012 के पत्र में राज्य कैम्पा निधि के लेखा के रखरखाव व अनुश्रवण के सम्बन्ध में अति महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। इस पत्र के बिन्दु संख्या–3 पर उल्लेख किया गया है कि–It has been decided that hereafter, the financial year for the purpose of the CAMPA will

be from 1st April to 31st March in the succeeding year. उक्त पर समिति द्वारा चर्चा कर कैम्पा निधि की वार्षिक कार्ययोजना को वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाने एवं क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण/समस्त वन संरक्षक/समस्त मुख्य वन संरक्षक/समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/समस्त प्रमुख वन संरक्षक)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.14 – देहरादून वन प्रभाग की स्वीकृतियों हेतु निविदा से प्राप्त दरों के तुलनात्मक विवरण का अनुमोदन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 12.12.2011 की बैठक के कार्यवृत्त 6.5(v) की तालिका के क्रमांश 2,3 व 4 पर वित्तीय स्वीकृति हेतु अंकित कार्यो हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यो सम्बन्धित निविदा की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तदोपरान्त उपरोक्त की स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्त के क्रम में देहरादून वन प्रभाग द्वारा उक्त कार्यो से सम्बन्धित निविदा की कार्यवाही के अन्तर्गत प्राप्त दरों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं तदनुसार (1) देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत माजरी–शेरगढ़ मोटर मार्ग से परिजात वाटिका (वनवाह क॰नं॰–3) तक कच्चा मार्ग का सुदृढ़ीकरण के कार्यों की प्राक्कलन लागत रु॰ 12.50 लाख के सापेक्ष ठेकेदार से प्राप्त न्यूनतम दर 45.50% न्यून (2) नवादा क॰सं॰ 6 के वन एवं कास्त भूमि की सीमा पर स्थित कच्चे मार्ग का सुदृढ़ीकरण के कार्य की प्राक्कलन लागत रु॰ 13.00 लाख के सापेक्ष ठेकेदार से प्राप्त न्यूनतम दर 45.50% न्यून तथा (3) दुल्हनी क॰सं॰ 3 से नवादा क॰सं॰ 1 के अंतर्गत वन एवं कास्त भूमि की सीमा पर स्थित कच्चे मार्ग का सुदृढ़ीकरण के कार्य की प्राक्कलन लागत रु॰ 11.60 लाख के सापेक्ष ठेकेदार से प्राप्त न्यूनतम दर 35% न्यून की वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग)

कार्यसूची बिन्दु सं॰ 7.15 – International Union for Conservation of Nature (IUCN) की सदस्यता

International Union for Conservation of Nature (IUCN) की सदस्यता हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के सुझाव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई एवं निर्देश दिए गये कि उक्त का प्रस्ताव ले लिया जाए तदोपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति/शासी निकाय तथा राज्य सरकार/भारत सरकार का यथाआवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

22/6/2012

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

(डॉ॰ आर.बी.एस॰ रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।